न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2021	2020/00021	12.02.2021	24.02.2021

श्री पाल पिता माणक लाल महाजन निवासी बोरी तहसील प्रतापगढ़

– अपीलान्ट

–: बनाम :–

1– श्री रामस्वरूप पिता अम्बालाल जाट निवासी बोरी तहसील व जिला प्रतापगढ़
2– तहसीलदार प्रतापगढ़

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 24.06.2016 प.ह. बोरी तहसील प्रतापगढ़

उपस्थिति :–

1. श्री कमल सिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री तेजपाल सिंह राठौर (रेस्पोडेन्ट संख्या–1)
3. श्री पैरोकार सरकार राजस्व अधिवक्ता श्री प्रवीन जैन (रेस्पोडेन्ट संख्या–2)

–: आदेश :–

दिनांक :–24 .02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया :–

1. अपीलान्ट के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके गांव बोरी प.ह. बोरी तहसील व जिला प्रतापगढ़ में स्थित है जिसका नवीन खाता संख्या 405 पुराना 372 होकर उसमें आराजी संख्या 545 रकबा 1.14 है. दर्ज रिकार्ड रही है जिसमें 1/2 हिस्सा सह खातेदार रामनारायण पिता अम्बालाल जी जाट एवं 1/2 हिस्सा अपीलान्ट श्रीपाल का रहा है।
2. यह कि अपीलान्ट द्वारा अपने 1/2 हिस्से की आराजी में से 2/8 हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामस्वरूप पिता अंबालाल जाट को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने नाम खुलवाले हेतु रजिस्ट्री की फोटो प्रति पटवारी हल्का बोरी को दी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 24.06.2016 दर्ज रिकार्ड किया जिसमें सेहवन से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 2/8 हिस्से की बजाय 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया तथा 1/4 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

संख्या 1 को अपने 1/2 हिस्से की आराजी में से 2/8 हिस्से की आराजी का विकय किया है जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होना चाहिए था जिसे न्याय हित में सुधार किया जाना आवश्यक है।

3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा उक्त विवादग्रस्त नामान्तरकरण खोला गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त तथा विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।
4. यह कि अपीलान्ट को इस बात की जानकारी दिनांक 25.08.2020 को पटवार हल्का बोरी से उक्त आराजी की जमाबंदी नकल प्राप्त की जो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम 2/8 हिस्से की बजाय 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया है जो गलत है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम विकय पत्र के आधार पर 2/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था इस बाबत अपीलान्ट द्वारा पटवार हल्का से राजस्व रिकार्ड में सुधार करने बाबत कहा तो उन्होंने टालम टुली का जवाब दिया तथा आज तक कोई सुधार नहीं किया इस कारण श्रीमान के समक्ष यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।
5. यह कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का सद्भाविक कारण रहा है फिर भी कोई कानूनी अड़चन पैदा नहीं हो इस कारण अपीलान्ट अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।
6. यह कि अपील निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 24.06.2016 को निरस्त फरमाया जाकर विकय पत्र दिनांक 27.04.2016 के आधार पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विकय की गई आराजी हिस्से अनुसार 2/8 हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र प्रेषित किए गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या –1 कि ओर से अधिवक्ता श्री तेजपाल सिंह राठौर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए जवाब अपील दिनांक 12.02.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अपीलार्थी को दिलाई गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 कि ओर से पैरोकार सरकार राजस्व अधिवक्ता श्री प्रवीन जैन उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस अन्तिम उभयपक्ष दिनांक 22.02.2021 को सूनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया पंजीकृत बेचान बाबत राजस्व ग्राम बोरी तहसील बोरी की नवीन खाता संख्या 405 में दर्ज संयुक्त खातेदारी भूमि आराजी संख्या 545 रकबा 1.14 हैक्टर में उसका वास्तविक हक हिस्सा 1/2 में से 2/8 हक हिस्सा उसके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया उक्त विक्रय विलेख के आधार पर निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 24.06.2016 अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा विक्रित हक हिस्से के मुकाबले सेहवन से अपीलार्थी के 1/2 हिस्से में से 2/8 के बजाय उक्त संयुक्त आराजी रकबे का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दर्ज/स्वीकृत कर दिया गया जिससे विवादित नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 24.06.2016 को निरस्त फरमाते हुए विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2016 में वर्णितानुसार उचित नामान्तरकरण आदेश निष्पादित करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या –2 को आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील जवाब दिनांक 12.02.2021 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

संख्या –1 के पक्ष में निषपादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2016 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधित अमल किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इसी प्रकार उपस्थित पैरोकार सरकार राजस्व अधिवक्ता श्री प्रवीण जैन द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील एवं जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या –1 में वर्णित कथनों का समर्थन करते हुए प्रकरण मेरिट पर निस्तारण फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 21.01.2021 एवं जवाब अपील रेस्पोडेन्ट संख्या –1 दिनांक 12.02.2021, विवादित नामान्तरकरण नकल 1122 दिनांक 24.06.2016, नकल जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 405 आराजी संख्या 545 रकबा 1.14 हैक्टर तथा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2016 के साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का भी गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित कथन एवं संलग्न पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2016 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के पक्ष में राजस्व ग्राम बोरी तहसील बोरी की खाता संख्या 405 आराजी संख्या 545 रकबा 1.14 हैक्टर संयुक्त खातेदारी में उपलब्ध हक हिस्से 1/2 में से 2/8 हक हिस्से का अन्तरण हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में किया जाना दर्शित रिकार्ड है किन्तु उक्त पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 24.06.2016 अन्तर्गत विक्रेता (अपीलार्थी) के हक हिस्से 1/2 में से विक्रित हिस्सा 2/8 की बजाय राजस्व रिकार्ड में क्रेता (रेस्पोडेन्ट संख्या–1) के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा सहवन से 1/4 दर्ज किया जाना दर्शित होता है।

उक्त क्रम में दौराने बहस अपीलार्थी (विक्रेता) एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1(क्रेता) के द्वारा उक्त संशोधन हेतु विवादित नामान्तरकरण को अपास्त कर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2016 के अनुसार संशोधित नामान्तरकरण हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना तथा उक्त क्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या –2 द्वारा भी अभिस्वीकृति प्रदान किये जाने से अपील अपीलार्थी सिद्ध योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर तहसीलदार प्रतापगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या–2) द्वारा स्वीकृत विवादित नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 24.06.2016 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या–2) को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में वर्णित पंजीकृत दस्तावेज संख्या 72 पंजीयन दिनांक 27.04.2016 के अनुसार अससरेनो कार्यवाही अमल में लाई जाकर नवीनतम नामान्तरकरण पारीत करें। तहसीलदार प्रतापगढ़ को इस आशय की तहरीर पृथक से जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner